2021/75

फर्द अहकाम

अशोक वगैरह बनाम राज0सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 39/2021 प्रा0पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.6.2021	प्रार्थीगण की ओर से यह पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री हजारी प्रसाद के द्वारा पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस में सुना गया । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1519, 1522 कुल किता 2 रकबा 0.11 है0 भूमि वाके ग्राम धवली तहसील शाहपुरा में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हैजिसका प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 9.6.2021को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 1517, 1518 वाके ग्राम धवली का दिनांक 23.6.2021 को पत्थरगढी किया जाना प्रस्तावित है, प्रार्थीगण भी अपनी भूमि जिसका सीमाज्ञान हो चुका है का पडौसी खातेदारों के साथ साथ अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे प्रशासन को समय की बचत रहेगी । वकील प्रार्थी ने अपनी एक पक्षीय बहस में यह भी जाहिर किया कि उक्त प्रार्थीगण की भूमि जिसका सीमाज्ञान किया जा चुका है पडौसी खातेदारान के द्वारा सींव डोल को कांट कांट कर अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास करते रहते है जिससे आये दिन आमादा फसाद होता रहता है यदि प्रार्थीगण की भूमि का भी पत्थरगढी होने से आये दिन झगडा फसाद सींव डोंल कांट की समस्या से निजात मिल जायेगी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में उप तहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/भू0अ0/2021/361 दिनांक 10.6.21 के द्वारा खसरा नम्बर 1517, 1518 वाके ग्राम धवली के पुलिस जाप्ता हेतु आदेश पारीत किये गये है तथा प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1519, 1522 है जो लगती हुई समीप की भूमि है तथा जिसका सीमाज्ञान दिनांक 9.6.2021 को किया जा चुका है । प्रार्थीगण की भूमि के समीप की भूमि का राजस्व टीम के द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि लगती हुई होने से तथा सीमाज्ञान पूर्व में होने से पत्थरगढी किये जाने की वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस से हम सहमत है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1519, 1522 कुल किता 2 रकबा 0.11 है0 भूमि वाके ग्राम धवली तहसील शाहपुरा का नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा करवाकर आसपास के खातेदारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी करवाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे। तदानुसार आदेश जारी हो । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।	

उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान